WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062024-254872
CG-DL-E-22062024-254872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946
No. 316]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2024

सा.का.नि. 339(अ).—केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1) और उपधारा (1क) के खंड (गक) और खंड (गख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर (जांच, न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ग) "अपीलार्थी" से न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है, अभिप्रेत है ;

(घ) "अपील प्राधिकारी" से कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है ;

(ङ) "प्रारूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उनका अधिनियम में है ।

3. लागू होना- ये नियम सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे ।

4. शिकायत.- कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई निरीक्षक सम्मिलित है, इलैक्ट्रानिकी माध्यमों या स्पीड पोस्ट द्वारा या दस्ती प्ररूप 1 में न्यायनिर्णायक अधिकारी को अधिनियम की धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन किए गए किसी उल्लंघन की बाबत शिकायत फाइल कर सकेगा ।

5. जांच संचालित करना.-(1) अधिनियम की धारा 26क के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी धारा में विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन कारित किया है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी प्ररूप 2 में ऐसे व्यक्ति को ऐसी कालावधि के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, या हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसके विरुद्ध जांच की जाए ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस कथित उल्लंघन की प्रकृति को उपदर्शित करेगा ।

(3) हेतुक पर विचार करने के पश्चात्, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपदर्शित किया जाता है, न्यायिक निर्णायक अधिकारी का यह मत है कि कोई जांच की जानी चाहिए तो वह ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख को, जो नोटिस में नियत की जाए, उपस्थिति की अपेक्षा का नोटिस जारी करेगा ।

(4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, उस उल्लंघन को और अधिनियम के उपबंध को, जिसकी बाबत कथित उल्लंघन किया गया है, स्पष्ट करेगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है ।

(5) न्यायनिर्णयाक अधिकारी तब ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेजों या साक्ष्य को प्ररूप 3 के अधीन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, जो वह जांच करने हेतु सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को किसी बाद की तारीख तक अस्थगित किया जा सकेगा और ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करते समय न्यायनिर्णयाक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(6) इस नियम के अधीन कोई जांच करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति की उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकेगा या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत है, प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(7) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायकअधिकारी के समक्ष उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार उपस्थित होने में असफल रहता है, अनदेखी करता है या इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(8) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने कोई उल्लंघन कारित किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह युक्तियुक्त समझे ।

(9) उपनियम (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अधिनियम के उपबंध को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके संबंध में उल्लंघन कारित किया गया है और शास्ति अधिरोपित करने के कारणों को अंतर्विष्ट करेगा ।

(10) उपनियम (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी और उस पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(11) इस नियम के अधीन किए गए आदेश की प्रति और कार्यवाहियों की सभी अन्य प्रतियों की शिकायतकर्ता और उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, को निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी और आदेश की एक प्रति मुख्य निरीक्षक को अग्रेषित की जाएगी ।

(12) न्यायनिर्णायक अधिकारी विरोधी पक्षकार को सूचना जारी करने की तारीख से छः मास के भीतर कार्यवाही को पूरा करेगा ।

(13) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश की निम्नलिखित में से किसी रीति में, उस व्यक्ति को तामील की जाएगी, जिसके विरुद्ध जांच की जाती है :

(i) उस व्यक्ति को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदत्त करके या प्रदान करके ;या

(ii) उस व्यक्ति को इलैक्ट्रानिकी माध्यमों से उसके स्थान के पते को या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान को या उस स्थान को, जहां वह अपना कारबार करता है या अंतिम बार उसने कारबार किया था या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है या कार्य किया था, को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट से ;या

(iii) यदि इसकी तामील खंड (i) याखंड(ii) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में नहीं की जा सकती है तो उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करके जहां वह व्यक्ति निवास करता है या ज्ञात रूप से उसने अंतिम बार निवास किया है या जहां वह अभिलाभ के लिए कारबार चलाता है या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ।

6. अपील.- (1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्तिअधिनियम की धारा 26ख के अधीन, प्ररूप iv में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

(2) अपील प्राधिकारी के पास अपील आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु अपील साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(3) अपील के साथ नियम 5 के उपनियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति और उन तथ्यों, जिनके विरुद्ध अपील की जा रही है, अपील के आधार और अधिनियम की सुसंगत धारा का स्पष्ट विवरण संलग्न होगा ।

(4) अपीलार्थी द्वारा अपील व्यक्तिगत रूप से या उसके लिखित में सम्यकतः प्रतिनिधि द्वारा या इस निमित सम्यकतः नियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से या इलैक्ट्रानिकी माध्यमों से तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील को अपील प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को फाइल किया समझा जाएगा, जिस दिन वह प्राप्त होती है ।

(6) यदि संवीक्षा करने पर अपील सही पाई जाती है तो इसे ग्रहण कर लिया जाएगा, औरयदि अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो पक्षकार को नोटिस के पश्चात् उसे अनुपालन करने हेतु वापस भेज दिया जाएगा और यदि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो अनुदत्त किया जाएगा, त्रुटि का सुधार नहीं किया जाता है, तो अपील प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए अपील को ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा ।

(7) अपील की एक प्रति की अपील प्राधिकारी द्वारा दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलैक्ट्रानिकी माध्यमों से प्रत्यर्थी को तामील की जाएगी ।

(8) प्रत्यर्थी अपील के नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेखों को मंगा सकेगा ।

(10) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह युक्तियुक्त समझे ।

(11) अपील प्राधिकारी, अपील ग्रहण करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

7. समय विस्तार -न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, जहां कार्य करने में विलंब या असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक होता है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि का ऐसी कालावधि तक विस्तार कर सकेगा, जो वह युक्तियुक्त समझे ।

8. आदेश और शास्तियां.- (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी पक्षकारों को संसूचित कियाजाएगा ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(2) इन नियमों के अधीन शास्तियों के रूप में वसूली गई सभी धनराशियों का भारत की संचित निधि में प्रत्यय किया जाएगा।

प्ररूप 1

[नियम 4 देखें]

सेवा में

जिला/अपर जिला मजिस्ट्रेट

विषय – बायलर अधिनियम, 1923 के उल्लंघन में बायलर का प्रचालन।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में आया है कि बायलर, जिसका रजिस्ट्रीकरण नंबर ...... है, मेकर संख्या ...... है, स्वामी का नाम.........है, जो मैसर्स.........के ....स्थित परिसर में है, में बायलर अधिनियम, 1923 की धारा..... के अधीन उल्लंघन किया गया है (सूचना/रिपोर्ट(यदि कोई हो) संलग्न है)।

(2) पूर्वोक्त उल्लंघन बायलर अधिनियम, 1923 के अधीन शास्ति का दायी है। अतः इसलिए बायलर (जांच, न्यायनिर्णयन और अपील)नियम, 2024 के अधीन आपसे बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 26क के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

शिकायतकर्ता का नाम और पता

तारीख:

स्थान :

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

प्ररूप 2

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

सेवा में

हेतुक उपदर्शित करने का नोटिस

विषय – बायलर अधिनियम, 1923 के उल्लंघन में बायलर का प्रचालन ।

महोदय/महोदया,

प्ररूप 1, तारीख----- (प्रति संलग्न) में प्राप्त शिकायत के अनुसार, बायलर, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या......., मेकर नंबर.....स्वामी का नाम.....है, जो आपके परिसर...... में है, में बायलर अधिनियम, 1923 की धारा.... के अधीन उल्लंघन किया गया है ।

(2) पूर्वोक्त उल्लंघन शास्ति का दायी है, अतः इसलिए आपसे इस नोटिस की तामील के ......दिन के भीतर हेतुक उपदर्शित करना अपेक्षित है कि क्यों न बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 26 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए आपके विरुद्ध जांच की जाए । यदि दी गई कालावधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अधिनियम के अधीन अग्रिम कार्रवाई की जाएगी ।

जिला /अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

प्ररूप 3

उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसके निमित्त दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना

[नियम 5 का उपनियम (5) देखें]

सेवा में,

जिला /अपर जिला मजिस्ट्रेट,

....

....

....

1.मैं /हम....

प्ररूप 1 में की गई शिकायत के विरुद्ध अपना कथन प्रस्तुत करते है।

वे आधार जिन पर हमने अपना कथन आधारित किया है, नीचे दिए अनुसार है।

....

....

2. पोस्टर इंडेक्स नंबर/कोड और राज्य सहित मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ पूरा पता।

3. उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

4. उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर सहित नाम जिसने हस्ताक्षर किए है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

प्ररूप 4

अपील

[नियम 6 का उपनियम (1) देखें]

सेवा में

अपील प्राधिकारी,

1.	अपीलार्थी की विशिष्टियां	
	(i) नाम	
	(ii) पत्राचार के लिए पता	
	(iii)संपर्क संख्या	
	(iv)ईमेल	
2.	अपील के आधार (न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जानी है)	
3.	न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की तारीख	
4.	तथ्यों का विवरण	
मैं /हम अपीलार्थी घोषणा करते है कि इसमें दिए गए तथ्य हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही है ।		
5.	अपीलार्थी के हस्ताक्षर और तारीख	
6.	अपीलार्थी का नाम	

[फा. सं. पी-30015/1/2024-बायलर]

डा. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2024

G.S.R. 339(E). ––In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (ca) and (cb) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. ––(1) These rules may be called the Boiler (Inquiry, Adjudication and Appeal) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

2. Definitions.——(1) In these rules, unless the context otherwise requires, ——

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) "adjudicating officer" means the District Magistrate or the Additional District Magistrateauthorised under sub-section (1) of section 26A of the Act;

(c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 26B of the Act;

(d) "appellate authority" means an officer authorised under sub- section (1) of section 26B of the Act;

(e) "form" means a form appended to the these rules;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in theAct

3. Application.——These rules shall apply to all Union territories.

4. Complaint. —Any person including an inspector may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under section 22, 23, sub-section (1) of section 25 and 30 the Act.

5. Holding of Inquiry. —(1) For the purpose of adjudication under section 26A of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form-IIto such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative dulyauthorised by him on such date as may be fixed in the notice.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention, committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.

(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya SakshyaAdhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.

(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held and a copy of the order shall be forwarded to the Chief Inspector.

(12) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the opposite party

(13) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom aninquiry is held, in any of the following manner:

(i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

6. Appeal. — (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority under section 26B of the Act in Form-IV.

(2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of sixty days from the date ofthe order:

Provided that, the appeal may be admitted after the expiry of the period of sixty days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 5and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(4) Theappeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorisedrepresentative in writing or by an advocate duly appointed in this behalf, or by registered post or speed post or through electronic means.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within twenty one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to admit the appeal.

(7) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(8) Respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.

(9)The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.

(10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(11)The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.

7. Extension of time. — The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable

8. Order and penalties. — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Form –I

[See rule 4]

To

District / Additional District Magistrate

____

Subject: Operation of Boiler in contravention of the Boilers Act, 1923.

Sir/Madam,

It has come to the knowledge of the undersigned thatcontravention hasbeen committed under section -- of the Boilers Act, 1923 in a boiler having register number ………………Maker No…………………………………..

owner name-------------------------------- in the premises of M/s------------------------------ at---------------------------------------(copy of the information / report(if any) is attached).

2. The above contravention is liable for penalty under the Boilers Act,1923 . Therefore, as per the Boiler (Inquiry, Adjudication and Appeal) Rules, 2024, you are requested to take appropriate action as adjudicating officer as per section 26A of the Boilers Act, 1923 for adjudication of the contravention.

Name and address

of the complainant

Dated:

Place:

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Form –II

[See sub-rule (1) of rule 5]

To

SHOW CAUSE NOTICE

Sub: Operation of Boiler in contravention of the Boilers Act, 1923.

Sir/Madam,

As per the complaint received in Form-I dated __________(copy enclosed), contraventionhas been committed under section ----------------------- of the Boilers Act, 1923 in a boiler having register number ………………Maker No……………. owner name-------------------------- in your premises at ___________ __________________ .

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ------ days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 26A of the Boilers Act,1923 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act .

District /Additional District Magistrate &

Adjudicating Officer

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

<table>
<tr><td colspan="3" align="center">FORM-III
Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener
[See sub-rule (5) of rule 5]</td></tr>
<tr><td colspan="3">To
District / Additional District Magistrate
…………………
………………….
………………….</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">I/We, ………………………………….……………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I

The grounds in which the counter statement is made are as follows: -
…………………………………………………………
…………………………………………………………</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Signature of the contraveneror his authorised representative:</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Name of the person alongwith mobile numberwho has signed</td><td></td></tr>
</table>

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

FORM-IV

Appeal

[See sub-rule (1) of rule 6]

To
Appellate Authority,
…………………
………………….
………………….

1.	Particular of appellant:	
	(i) Name:	
	(ii) Address for correspondence:	
	(iii) Contact No:	
	(iv) Email:	
2.	Grounds of appeal: (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)	
3.	Date of order of the adjudicating officer:	
4.	Statement of facts:	

I/We……….., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5.	Signature of appellant and date:	
6.	Name of appellant:	

[F. No. P-30015/1/2024-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.